हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2020

संख्या वि०स0-विधायन-विधेयक / 1-17 / 2020. — हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रिजस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) जो आज दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / — सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

2020 का विधेयक संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम।
- 2. धारा ५क का अन्तःस्थापन।

2020 का विधेयक संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

- 1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
- 2. **धारा 5क का अंतःस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976 (1976 का 19) की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :——

"5 क. संव्यवहारों का ढंग.—इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई साहूकार किसी भी व्यक्ति को, पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के उपयोग से अन्यथा, कोई ऋण अग्रिम नहीं देगा या उससे ऋण के किसी प्रतिदाय को नहीं लेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा यदि अग्रिम ऋण की रकम या स्वीकृत प्रतिदाय की रकम बीस हजार रुपए या इससे अधिक है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 43) की धारा 269 धध और 269न के उपबंधों के अनुसार बीस हजार रुपए से अधिक रकम के लिए नकद में संव्यवहार करना वर्जित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी परिपत्र संख्या आर बी आई/2016—17/245, तारीख 9 मार्च, 2017 द्वारा समस्त गैर—बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को संव्यवहार करते समय बीस हजार रुपए की प्रारंभिक सीमा का पालन करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 19) में संव्यवहार का ढंग विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः उक्त अधिनियम के उपबन्धों को आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप लाने हेतु संशोधन किया जाना अपेक्षित है। इसलिए हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री।

शिमला :	
तारीख :,	2020

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH REGISTRATION OF MONEY-LENDERS' (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Insertion of section 5A.

THE HIMACHAL PRADESH REGISTRATION OF MONEY-LENDERS' (AMENDMENT) BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Α

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Registration of Money-Lenders' Act, 1976 (Act No. 19 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

- 1. Short title.—This Act may be called as the Himachal Pradesh Registration of Money-Lenders' (Amendment) Act, 2020.
- **2. Insertion of section 5A.**—After section 5 of the Himachal Pradesh Registration of Money-Lenders' Act, 1976 (19 of 1976), the following section shall be inserted, namely:—
 - **"5A. Mode of Transactions.**—No money lender registered under section 4 of this Act, shall advance any loan or take or accept any refund of loan from any person, otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, if, the amount of loan advanced or the amount of refund accepted, is twenty thousand rupees or more."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions of sections 269SS and 269T of the Income Tax Act, 1961 (Act No. 43 of 1961) there is a bar on carrying out transactions in cash for an amount exceeding Rupees twenty thousand. The Reserve Bank of India has also issued directions *vide* Circular No.RBI/2016-17/245, dated 9th March, 2017 to all the Non-Banking Financial Companies to adhere to the threshold limit of Rupees twenty thousand while making transactions.

In the Himachal Pradesh Registration of Money-Lenders' Act, 1976 (Act No. 19 of 1976), mode of transactions has not been specified. Therefore, in order to bring the provisions of the said Act in consonance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the directions issued by the Reserve Bank of India, an amendment is required to be carried out. This has necessitated amendment in the Himachal Pradesh Registration of Money-Lenders' Act, 1976.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH THAKUR)

Minister-in-Charge.

SHIMLA:

THE, 2020.